

न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
6(ए) वाद संख्या-11/2015
बिहार सरकार बनाम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
38/61/15	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक-56 दिनांक-17.01.15 से बहेड़ी थाना कांड संख्या-287/14 में जप्त खाद्यान्न को अधिहरण करने संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि अंचल अधिकारी -सह- प्र0आ0पदा0, बहेड़ी द्वारा अपने पत्रांक-21 दिनांक-07.01.15 से बहेड़ी थाना कांड संख्या-287/14 दिनांक-09.12.14 दर्ज की गयी। साथ ही जप्ती सूची में दर्ज इस कांड में दर्ज 77 बैग चावल प्रति बैग 50 किलो एवं 12 बोरा धान प्रति बैग 40 किलो को अधिहरण करने की अनुशंसा की गयी है। उन्होने अपने प्रतिवेदन में चावल एवं धान को अधिक दिनों तक रखने पर खाद्यान्न की गुणवत्ता ह्रास होने की संभावना व्यक्त की गयी है।</p> <p>अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि बहेड़ी थाना कांड संख्या-287/14 में जप्त खाद्यान्न को समुचित रख-रखाव के अभाव में खराब होना संभाव्य है।</p> <p>अतएव अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि बहेड़ी थाना कांड संख्या-287/14 में जप्त खाद्यान्न को स्थानीय बाजार में बिक्री कराकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे। साथ ही इस कांड कांड के पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर न्यायालय में भेजे।</p> <p>अभिलेख पुनः दिनांक-.....को रखे।</p> <p style="text-align: center;">समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।</p> <p>पत्रांक 044 - जिला विधि विभाग 07-02-2015</p> <p>टिप्पणी :- अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, दरभंगा को सूचना दी गयी। अतीत सुनवाई है कि खाद्यान्न गणवत्ता, दरभंगा लक्ष्मी पारस आदेश से अनुमान करने हुए प्रतिवेदन की जांच के तहत की जायगी।</p>	

जिला दण्डाधिकारी
दरभंगा